उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-70/2016/1803/92-2-16-99जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक 17 नवम्बर, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 हेतु चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण हेतु निविदाओं के आमंत्रण एवं परीक्षण में अनावश्यक विलम्ब किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-40/2015/1832/92-1-2015-36जांच/2015, दिनांक 15-05-2015 द्वारा श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी/मुख्य अभियंता,(प0क्षे) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0-लखनऊ के पत्र दिनांक 03-09-2015 द्वारा जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव जॉच आख्या में स्थापित आरोपो के संबंध में शासन के पत्र संख्या-1657/92-2-2015-99जॉच /2015 दिनांक 02-12-2015 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी, श्री परवेज, अधिशासी अभियंता का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 18-01-2016 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपो के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि जनपद बलिया में समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 हेतु चयनित डॉ0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों में सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन के निर्माण की निविदाओं के परीक्षण में विलम्ब करने, प्राप्त निविदाओं का तकनीकी परीक्षण हेतु नियमानुसार अपनी अध्यक्षता में समिति न गठित करने तथा निविदा स्वीकर्ता अधिकारी के रूप में अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन न कर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करने की अनियमितता किये जाने हेतु श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-34/2016/ 969/ 92-2-2016-99जांच/2015, दिनांक 19-07-2016 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दित करते

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हुये एक वेतनवृद्धि 02 वर्ष के लिये अस्थायी रूप से रोके जाने का दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी है।

4- शासन के उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति प्रखण्ड-हमीरपुर) ने अपने पत्रांक'395/प्रत्यावेदन/2016-17 दिनांक 03-09-2016 द्वारा शासन के पारित दण्डादेश दिनांक 19.07.2016 के विरूद्व प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। प्रत्यावेदन में ऐसे किसी नवीन तथ्यों का उल्लेख नही किया गया है जिसके आधार पर श्री परवेज के विरूद्व दण्डादेश विलोपित किया जा सके। अतः श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया (सम्प्रति प्रखण्ड-हमीरपुर) के प्रत्यावेदन दिनांक 03.09.2016 को निराधार एवं बलहीन होने के कारण निरस्त करते हुये निस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-70/2016/1803(1)/92-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री परवेज, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in